पंजीकृत डाक द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

क्रमांक एफ 3–23/2010/12 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–नारायणपुर,
छत्तीसगढ़।

विषयः–जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु–मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014.

—:0:—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 द्वारा जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर से अनुमोदित मायनिंग प्लान 06 माह के भीतर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

2/ श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 06.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पक्ष में प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 30 वर्ष के लिए खनिज आयरन ओर के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के लिए विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक में तथा उक्त आदेश के साथ संलग्न नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के. रकबा, वन कक्ष क्रमांक में भिन्नता है। जिसके कारण आई.बी.एम. से माइनिंग प्लान के अनुमोदन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तत्संबंध में आवेदक कंपनी द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक को संलग्न नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक अनुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2.1 विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में आवेदित क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित हैः–

आवेदित क्षेत्र का विवरण	
वन कक्ष क्रमांक	**आवेदित रकबा (हेक्टर)**
1	**2**
252	20.00
267	20.00
268	14.00
269	3.00
	57.00

2.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन दिनांक 08.04.2009 तथा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2014 के साथ संलग्न नक्शे में वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित हैः–

आवेदित क्षेत्र का विवरण	
वन कक्ष क्रमांक	**आवेदित रकबा (हेक्टर)**
1	**2**
267	20.00
268	20.00
269	14.00
252	3.00
	57.00

3/ यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज आयरन ओर का खनिपट्टा प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 30 वर्षो हेतु स्वीकृत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 24.12.2014 से 06 माह की अवधि के भीतर आई.बी.एम. से अनुमोदित माइनिंग प्लान जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदक कंपनी के द्वारा माइनिंग प्लान जमा नहीं कर पाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2015 द्वारा **03 माह (दिनांक 25.06.2015 से 24.09.2015 तक)** एवं पत्र दिनांक 26.09.2015 द्वारा पुनः 06 माह **(दिनांक 25.09.2015 से 24.03.2016 तक)** की अतिरिक्त समय वृद्धि प्रदान किया गया है।

4/ एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 में संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

56. Power to rectify apparent mistakes: - Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any other authority or officer under these rules and any error arising therein from accidental slip or omission, may, within two years from the date of the order, be corrected by the Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity for stating his case.

5/ अतएव उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 के प्रावधांतर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित पैरा-2 की तालिका के कॉलम क्रमांक 2, 3 एवं 4 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :-

आवेदित क्षेत्र का विवरण		आवेदित क्षेत्र में से खनिपटटा स्वीकृति हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर में)
वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर में)	
2	3	4
267	20.00	20.00
268	20.00	20.00
269	14.00	14.00
252	3.00	3.00
	57.00	57.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3-23/2010/12 नया रायपुर, दिनांक - 4 MAR 2016

प्रतिलिपि :-

1. कंट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरों आफ माईन्स, सेकेण्ड फ्लोर ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर(महाराष्ट्र)
2. डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड़, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर
3. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि0, खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. गार्ड फाईल रजिस्टर।

4/3/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग